

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जौनपुर ।

सेवामें,

प्रबन्धक,

आक्सफोर्ड टाउन इंग्लिश स्कूल

रामगढ़ बरावा मछलीशहर

जौनपुर

पत्रांक/मान्यता/ 31904-07 /2020-21 दिनांक 25.2.2021

विषय: नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 15.02.2021 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए आक्सफोर्ड टाउन इंग्लिश स्कूल रामगढ़ बरावा मछलीशहर जौनपुर को दिनांक 15.02.2021 से 14.02.2022 तक कक्षा 01 से कक्षा 05 (अंग्रेजी माध्यम) के लिए मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध-1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध-2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - ▶ प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय में निष्काशित नहीं किया जायेगा ;
 - ▶ किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा ;
 - ▶ प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ;
 - ▶ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ;
 - ▶ अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता: ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;
 - ▶ अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे ;
 - ▶ प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली- 1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।
 - ▶ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - कुल निर्मित क्षेत्रफल
 - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

- कक्षाओं की संख्या।
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय- सह-भंडारागार के लिए कक्षा
 - बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय
 - पेयजल सुविधा
 - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
 - बाधा रहित पहुच
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह का संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **X** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
 17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
 19. विद्यालय संभालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय

 (प्रवीण कुमार तिवारी)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 जौनपुर।

पृ0सं0/मान्यता/ /2020-21 दिनांक-उक्तवत।
 प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर लें, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक 29 जून 2020 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 जौनपुर।



**Office of the District Basic Education Officer
JAUNPUR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **OXFORD TOWN ENGLISH SCHOOL, RAMGARGH BARAWAN MACHHLISAHAR JAUNPUR** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to OXFORD TOWN ENGLISH SCHOOL is **31904-07 25.02.2021**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

31-08-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

31904-07 25.02.2021

DATE:- 31-08-2022

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer

Digitally signed by GORAKHNATH PATEL
Date: 2022.08.31 19:29:01
Reason: For Digital Signature
Location: JAUNPUR

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.pernaup.in

Digitally signed by Arvind Singh
Date: 2025.07.30 16:37:15 +05:30
Reason: reason
Location: location

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

आक्सफोर्ड टाउन इंग्लिश स्कूल
रामगढ़ बरावों-जौनपुर।

पत्रांक./मान्यता/19111-15

/2023-2024 दिनांक 20/03/2024

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन आनलाईन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिये अस्थाई/स्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-29 जून 2020 एवं आनलाईन मान्यता संबंधित शासनादेश संख्या-64/अडसठ-3-2021-840 दिनांक-11 फरवरी 2021 तथा शासनादेश संख्या-575/68-3-2018-2041/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2023 अनुक्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक-15.03.2024 के अनुक्रम में जॉच अधिकारी/संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आस्था/संस्तुति तथा आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती

पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता **प्रबन्धक**
आक्सफोर्ड टाउन इंग्लिश स्कूल -रामगढ़ बरावों-जौनपुर को तारीख- 19-03-2024 से स्थाई

(PERMANENTLY) कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के आनलाईन (अंग्रेजी माध्यम) से स्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-06 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता अस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनेके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापकों/शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक)सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

SR

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक X है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर से कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गुत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
अतः आपको मान्यता प्रमाण पत्र आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। तथा उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय
डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ०सं०/मान्यता/ /2023-2024 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- 2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 3-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है, और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
- 4- कार्यालय प्रति।

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।



**Office of the District Basic Education Officer
JAUNPUR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **OXFORD TOWN ENGLISH SCHOOL, RAMGARGH BARAWAN MACHHLISAHAR JAUNPUR** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to OXFORD TOWN ENGLISH SCHOOL is **31904-07 25.02.2021**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE **19-03-2024(DD/MM/YYYY)**

3. Recognition Type **Old**

4. School Type **Upper Primary School(6 to 8)**

5. Recognition No. **31904-07 25.02.2021**

DATE:- 19-03-2024

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer


 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 जौनपुर